RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक ३०] शुक्रवार, डिसेंबर २, २०१६/अग्रहायण ११, शके १९३८ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ४२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

वित्त विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित १७ नवम्बर २०१६।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXVII OF 2016.

AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA SETTLEMENT OF ARREARS IN DISPUTES ACT, 2016.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. २७ सन् २०१६।

महाराष्ट्र विवादों में बकायों का निपटान करना अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र विवादों में बकायों का निपटान करना अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करना आवश्यक हुआ है ;

सन् २०१६ का महा. १६।

अब इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र विवादों में बकायों का निपटान करना (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, २०१६ कहलाए। संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

(२) यह तुरन्त, प्रवृत्त होगा।

सन् २०१६ के महा. १६ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र विवादों में बकायों का निपटान करना (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ तथा महाराष्ट्र विवादो में बकायों का निपटान करना (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१६ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र विवादो में बकायों का निपटान करना अधिनियम, २०१६ की धारा २, की उप-धारा (१) के खण्ड (२) में, "१५ नवम्बर २०१६" अंको, अक्षरों तथा शब्दो के स्थान में "३० नवम्बर २०१६" अंक, अक्षर तथा शब्द रखे जायेंगे। सन् २०१६ का महा. १६। सन् २०१६ का महा. अध्या. २३। सन् २०१६ का महा. अध्या. २४।

सन् २०१६ का महा. १६ की धारा ४ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ४, की उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(१) आवेदनकर्ता, जो विवादों में के बकायों का निपटान करना चाहता है, वह विहित किये जाये ऐसे प्ररुप में तथा ऐसी रीत्या में, ३० नवंबर, २०१६ तक पदाभिहित प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा :

परंतु, इस अधिनियम की धारा ६ की उप-धारा (१) या (२) के अनुसार निर्धारित आवश्यक रकम के भुगतान का सबूत, इस निमित्त विहित दिनांक को या के पूर्व प्रस्तुत करेगा"।

सन् २०१६ का महा. १६ की धारा ५ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ५ में , "१५ नवम्बर २०१६" अंकों, अक्षरों तथा शब्दो, के स्थान में "३० नवम्बर, २०१६" अंक, अक्षर तथा शब्द रखे जायेंगे।

वक्तव्य।

विक्रय कर विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अधीन विवादों में बकायों का निपटान करने के लिये उपबंध करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र विवादों में बकायों का निपटान अधिनियम, २०१६ (सन् २०१६ का महा. १६) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम यह उपबंध करता है कि, व्यवहारियों को कर के संदाय से संबंधित विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटान करने तथा उक्त अधिनियम के अधीन अनुपालन सुकर बनाने के लिए व्यवहारियोंको अधिक समय देने के उद्देश से, आवेदन कर्ता, जो विवादो में बकायों का निपटान करना चाहता है वह ३० सितम्बर, २०१६ तक, पदाभिहित प्राधिकार को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उक्त दिनांक १५ नवम्बर २०१६ तक विस्तारित करने का प्रस्तावित था। उस प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने, महाराष्ट्र विवादों में बकायों का निपटान करना (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१६ (सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. २४) ३०सितम्बर २०१६ को प्रख्यापित किया था।

२. कर के संदाय से संबंधित विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटान करने तथा उक्त अधिनियम के अधीन अनुपालन सुकर बनाने के लिए व्यौहारी को अधिक समय देना आवश्यक होने से उक्त दिनांक का ३० नवम्बर २०१६ तक विस्तार करना प्रस्तावित है। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अलग-अलग दिनांकों का उपबंध करने तथा उक्त अधिनियम के अधीन संदाय का सबूत प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर प्रस्तावित किया गया है। सरकार इसलिए, उक्त अधिनियम की धाराएँ २,४ तथा ५ में यथोचितरीत्या संशोधन करना इष्टकर समझती है।

३. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र विवादों में बकायों का निपटान अधिनियम, २०१६ (सन् २०१६ का महा. १६) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता हैं।

मुंबई,
दिनांकित १५ नवम्बर, २०१६।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।
महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

व्ही. गिरिराज,
सरकार के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद)
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.